



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102026-276830
CG-DL-E-06102026-276830

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5170]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948

No. 5170]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ ASVINA 8, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2026

का.आ. 5378(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4593(E) तारीख 08/10/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी जिले में NH 727 H के कि.मी. 19.000 से कि.मी.39.000 (देवा से फतेहपुर मार्ग तक) के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण / पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि) के भूखण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन “द इंडियन एक्सप्रेस” (अंग्रेजी), और “आज” (हिन्दी) तारीख 26/11/2025 को दोनों में प्रकाशित किया गया था

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य के बाराबंकी जिले में NH 727 H के कि.मी. 19.000 से कि.मी. 39.000 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: बाराबंकी (129)		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: फतेहपुर (896)					
गांव का नाम: इसरौली					
1	17	निजी	परती	0.0044000	दयाराम पुत्र रूप नरायन, नत्था, रामहर्ष पुत्रगण बिहारी, रामपाल पुत्र खगेश्वर जुगगौर
गांव का नाम: बसारा (163908)					
2	814	सरकारी	बंजर	0.0200000	सरकारी
गांव का नाम: फतेहपुर खास					
3	2634	सरकारी	नली	0.0274000	सरकारी
तालुक का नाम: नवाबगंज (898)					
गांव का नाम: सलार पुर					
4	527	सरकारी	यूपी कोपोरेटिव फाउंडेशन	0.0532000	यू.पी.कोआपरेटिव फेडरेशन
गांव का नाम: पवय्याबाद					
5	904	सरकारी	नली	0.0080000	सरकारी
कुल योग				0.113	

[फा. सं. 727H/BRT-PRJ/18/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2026

S.O. 5378(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, 4593(E) Dated:08/10/2025 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of (Widening / Two Lane with Paved Sholder / Four Laning etc.) Maintenance, management and operation of NH 727 H in the stretch of land from Km. 19.000 to Km. 39.000 (Dewa to Fatehpur Marg) in the district of BARABANKI in the state of UTTAR PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian Express” (English) And “AAJ” (Hindi) Both dated 26/11/2025 ; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 727 H in the stretch of land from Km. 19.000 to Km. 39.000 in the district of BARABANKI in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: BARABANKI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Fatehpur					
Village: Israuli					
1	17	Private	parti	0.0044	Dayaram s/o Roop Narayan, Natha, Ramharsh s/o Bihari, Rampal s/o Khageshwar Juggaur
Village: Basara					
2	814	Government	Banjar	0.02	Government
Village: Fatehpur Khas					
3	2634	Government	Nali	0.0274	Government
Taluk: Nawabganj					

Village: Salar Pur					
4	527	Government	UP Coporative Foundation	0.0532	U.P. Cooperative Federation
Village: Ā,Ā Pavaiyabad					
5	904	Government	Nali	0.008	Government
Total				0.113	

[F. No. 727H/BRT-PRJ/18/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director